

(71)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बच्ची धर्मा हल्दूचौड़
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बच्ची धर्मा हल्दूचौड़ द्वारा दिनांक 11/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जंगी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बच्ची धर्मा
जिला नैनीताल


प्रकाश
(प्रकाश नं०-1)
क्षेत्रीय विकास अधिकारी
हल्दूचौड़
जिला नैनीताल


रुक्मिणी नेगी
ग्राम प्रधान
दुम्काबगर बच्ची धर्मा
विकास क्षेत्र हल्द्वानी

प्रपत्र-23.1

दिनांक 11/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बेहरी डा.डा. हल्द्वारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल जोशी	
2	महेश जोशी	
3	नवीन काण्डपाल	
4	उमेश फुलारा	
5	दामा नन्द फुलारा	
6	मथुरा दत्त कोटिया	
7	कमल लोशाली	
8	कैव दत्त लोशाली	
9	प्रीतिमाल दत्त पाठक	
10		
11	Bhane P. S. Negi	
12	K. S. Negi	
13	नेनी राम	
14	कामल	
15	विश्वनाथ सिंह	
16	दीपा	
17	नारायण	
18	हमन मोदी	
19	नवीन चन्द कफलिया	
20		
21		
22		
23		
24		

ग्राम पंचायत
बेहरी डा.डा. हल्द्वारी
सहायक सभा अध्यक्ष (विवेक)

ग्राम प्रधान
रुकुमणी नेगी
ग्राम प्रधान
हुम्नामगा मुखर्जी धर्मा
विकास खण्ड- हल्द्वारी

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दुर्गापाल पुर परमा
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुर्गापाल पुर परमा (विभाग) द्वारा दिनांक 12/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जग्गी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख०... (नैनीताल)

Bkaf
13/12/14
भुवन प्रसाद
क्षेत्र-पंचायत-सदस्य
वार्ड-३७, दुर्गापालपुर (परमा)
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
(संजय सिंह राणा)
ग्राम पंचायत-दुर्गापाल पुर परमा
विकास खण्ड- हल्द्वानी

प्रपत्र-23.1

दिनांक 1.12.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत दुर्गापाल पुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सतीश चंद्र पाण्डे	
2	" भूषण चंद्र भट्ट	
3	" गोबिंद नन्द भट्ट	
4	" हरिश्चंद्र चंद्र भट्ट	
5	" मोहन चन्द्र भट्ट	
6	" श्री आत्माराम ठाकुर	
7	" श्री मोहन जोशी	
8	" गोविंद वल्लभ जोशी	
9	" श्री वल्लभ जोशी	
10	" बडानी देवी	
11	" जगदीश चंद्र जोशी	
12	" केवला नन्द जोशी	
13	" लेख रत्न जोशी	
14	" जगदीश चंद्र पाण्डे	
15	" रमेश चंद्र जोशी	
16	" नारायण दत्त पाण्डे	
17	" श्रीमान् राम	
18	" जगदीश चंद्र पाण्डे	
19	" लालचंद चंद्र	
20	" लालचंद शर्मा	
21	" जयदर सिंह	
22	" केनय सिंह	
23	" प्रिय सिंह	
24	" श्री सिंह	

25 श्री प्रेमचंद भट्ट - श्रीमान्

क. र. र. र.
ग्राम सभा के अध्यक्ष
दुर्गापाल पुर

ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
(संजय सिंह राणा)
ग्राम पंचायत-दुर्गापाल पुर
विकास खण्ड- हल

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हल्दूचौड़ जंगी
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हल्दूचौड़ जंगी द्वारा दिनांक 11/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जंगी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
हल्दूचौड़ जंगी (नैनीताल)

[Signature]

[Signature]
इन्द्र सिंह बिष्ट
प्रधान

ग्राम पंचायत
हल्दूचौड़ जंगी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.1

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायतहल्द्वानी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जीवन चन्द जोशी	
2	" हरीश चन्द जोशी	हरीश
3	" नवीन चन्द जोशी	नवीन
4	" प्रकाश चन्द	प्रकाश जोशी
5	" अम्बादत्त पाण्डे	
6	" तिलोत्तम पाण्डे	तिलोत्तम
7	" हरी चन्द मल्ल	हरी चन्द मल्ल
8	" दिनेश चन्द मल्ल	दिनेश चन्द मल्ल
9	" हरीश चन्द पाण्डे	हरीश चन्द पाण्डे
10	" विनायक पाण्डे	विनायक
11	" विनायक पाण्डे	विनायक
12	" नवीन जोशी	नवीन जोशी
13	" लक्ष्मी वल्लभ	लक्ष्मी जोशी
14	" हरी वल्लभ	हरी वल्लभ
15	" अदा वल्लभ गुप्ता	अदा वल्लभ गुप्ता
16	" निम किशोर पाण्डे	निम किशोर पाण्डे
17	" प्रकाश सिंह झाड़ी	प्रकाश सिंह
18	" चन्द्र शेखर	चन्द्र
19	" मोहन चन्द जोशी	मोहन चन्द
20	" मोहन चन्द जोशी	मोहन चन्द
21	" गोपाल सिंह	गोपाल
22	" गोपाल सिंह वल्लभ	गोपाल सिंह वल्लभ
23	" दिनेश सिंह वल्लभ	दिनेश सिंह
24	" गोरीधर मल्ल	गोरीधर मल्ल

ग्राम पंचायत-हल्द्वानी
हल्द्वानी

ग्राम प्रधान
इन्द्र सिंह बिन्द
ग्राम पंचायत-हल्द्वानी
वि.ख.0 हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हाथी खाल
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

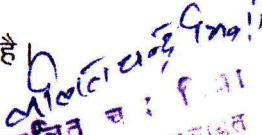
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

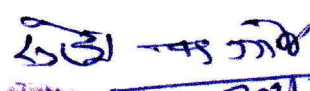
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हाथी खाल द्वारा दिनांक 11.12.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जग्गी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत हाथी खाल
बकास खण्ड-हल्द्वानी (नैनीताल)


सहित च. ज. जा
सदस्य क्षेत्र पंचायत
हाथी खाल
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)


ग्राम ग्राम प्रधान
11-12-2014

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत होलीपुरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गजेंद्र मह	गजेंद्र मह
2	श्री कल्याण मह	कल्याण मह
3	श्री गजबल मह	गजबल मह
4	श्री देवीधर मह	देवीधर मह
5	श्री कल्याण मह	कल्याण मह
6	श्री गजबल मह	गजबल मह
7	श्री गजबल मह	गजबल मह
8	श्री गजबल मह	गजबल मह
9	श्री गजबल मह	गजबल मह
10	श्री गजबल मह	गजबल मह
11	श्री गजबल मह	गजबल मह
12	श्री गजबल मह	गजबल मह
13	श्री गजबल मह	गजबल मह
14	श्री गजबल मह	गजबल मह
15	श्री गजबल मह	गजबल मह
16	श्री गजबल मह	गजबल मह
17	श्री गजबल मह	गजबल मह
18	श्री गजबल मह	गजबल मह
19	श्री गजबल मह	गजबल मह
20	श्री गजबल मह	गजबल मह
21	श्री गजबल मह	गजबल मह
22	श्री गजबल मह	गजबल मह
23	श्री गजबल मह	गजबल मह
24	श्री गजबल मह	गजबल मह

निर्वाहक सभाध्यक्ष
ग्राम पंचायत
होलीपुरा

ग्राम पंचायत
होलीपुरा
11-12-2014

ग्राम प्रधान
होलीपुरा
11-12-2014

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खडकपुर
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खडकपुर द्वारा दिनांक 11/12/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जग्गी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत खडकपुर

विकास खण्ड-हल्द्वानी (नैनीताल) बार्ड-३७, दुर्गावलपुर (परमा)
वि. ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

धुवन प्रसाद

क्षेत्र-पंचायत-खडकपुर

वि. ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान

इन्द्र लाल

प्रधान

ग्राम पंचायत खडकपुर

वि. ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 12-12-04 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत खंडकपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हरनराम डा. लोकाराम	हरनराम
2	चन्दनराम डा. लोकाराम	चन्दनराम
3	लालूराज डा. लोकाराम	लालूराज
4	गोपालराज डा. लोकाराम	गोपालराज
5	बालम सिंह निह	बालम सिंह
6	नारायणराज डा. लोकाराम	नारायणराज
7	गणेश सिंह डा. लोकाराम	गणेश सिंह
8	गोपालराज डा. मणीराज	गोपालराज
9	दयालराज डा. मणीराज	दयालराज
10	वडापुरराज डा. लोकाराम	वडापुरराज
11	मीनराज डा. लोकाराम	मीनराज
12	इंदरराज डा. हरिप्रसाद	इंदरराज
13	मधुसूदनराज डा. लोकाराम	मधुसूदन
14	पद्मराज डा. लोकाराम	पद्मराज
15	पार्वती देवी लोकाराम	पार्वती
16	नारायण प्रसाद डा. लोकाराम	नारायणराज
17	पद्मराज डा. लोकाराम	पद्मराज
18	मोहनराज डा. लोकाराम	मोहनराज
19	पद्मराज डा. लोकाराम	पद्मराज
20	भुवनेश्वरराज डा. लोकाराम	भुवनेश्वरराज
21	गोपालराज डा. लोकाराम	गोपालराज
22	गिरिशंकरसिंह डा. लोकाराम	गिरिशंकरराज
23	हरिहरराज डा. लोकाराम	हरिहरराज
24	लोकेशराज डा. लोकाराम	लोकेशराज

12/12/04

भुवन प्रसाद

क्षेत्र-पंचायत-सदस्य

वार्ड-37, दुर्गापालपुर (परमा)

वि० ख० हल्दानी (नैनीताल)

फि० धार० टम्हा

ग्राम सभाज कल्याण अधिकारी

हल्दानी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान 12-12-04

प्रधान

ग्राम पंचायत खंडकपुर

वि० ख० हल्दानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — हल्दूचौड़ दौलिया
तहसील लालकुआँ, जिला— नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हल्दूचौड़ दौलिया द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जग्गी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

12-12-2014
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

4/12/2014
(प्रकाश चन्द)
अ० प्र०
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

राधा कलाश भट्ट
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.1

दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हाडा गंज

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री भूतन चंद खिलेपा	भूतन चंद
2	श्री भूतन चंद जोशी	भूतन जोशी
3	श्री मोहन चंद पाण्डे	मोहन
4	श्री विमान सिंह नेनवाल	विमान देवी
5	गणेश नाथ	गणेश नाथ
6	हरीश चंद	हरीश चंद
7	गोविंद चंद जोशी	गोविंद जोशी
8	वसंत चंद पाण्डे	वसंत चंद
9	दुर्गा चंद पाण्डे	दुर्गा चंद
10	सुरन चंद	सुरन चंद
11	सुरेश चंद	सुरेश चंद
12	जीवन सिंह चतवाल	जीवन सिंह
13	चंद सिंह	चंद सिंह (MN)
14	मेधा चंद चौधरी	मेधा चंद
15	वसन्त सिंह	वसन्त सिंह
16	राजेश चंद महे	राजेश
17	श्री विमान सिंह शर्मा	विमान सिंह
18	Babam - Ballesh जोशी	Babam
19	देव प्रकाश महे	देव प्रकाश
20	मोहन चंद शर्मा	मोहन चंद
21	पतापाण्डे	पतापाण्डे
22	श्री मल्लापाण्डे जोशी	मल्लापाण्डे
23	नृप चंद जोशी	नृप चंद
24	गोविंद राम	गोविंद राम

ग्राम प्रधान

हाडा गंज
ग्राम पंचायत
(संयोजक)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम किशनपुर सकुलिया
तहसील लालकुआँ, जिला- नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

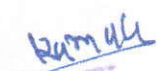
उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है०, वन पंचायत भूमि 0.00 है० अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

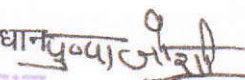
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किशनपुर सकुलिया द्वारा दिनांक 11/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बच्ची धर्मा, दौलिया नं०-1, देवरामपुर, हाडाग्राम, हल्दूचौड़ जग्गी डी-क्लास,, हल्दूचौड़ दौलिया, डुंगरपुर, हिम्मतपुर, बेरीपड़ाव, खड़कपुर, बकुलिया, किशनपुर सकुलिया, खत्ता बंगर, हाथीखाल दक्षिण, हाथीखाल उत्तर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत किशनपुर सकुलिया
हल्द्वानी (नैनीताल)


ग्राम पंचायत सचिव
क्षेत्र पंचायत किशनपुर सकुलिया
हल्द्वानी (नैनीताल)


ग्राम प्रधान,
11-12-14
क्षेत्र पंचायत किशनपुर सकुलिया
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी

उपखण्ड लालकुआँ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 12.330 है०, आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 12.330 है० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लालकुआँ) की दिनांक 4.10.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरबीर सिंह, उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हरबीर सिंह उपजिलाधिकारी हल्द्वानी (अध्यक्ष)
- 2- श्री नवीन चन्द्र पन्त, उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)
- 3- श्री के. डी. आर. टंडन सहायक समाज कल्याण अधिकारी, हल्द्वानी (सदस्य/सचिव)
- 4- श्री आर. एन. नन्द मंड बी०डी०सी० क्षेत्र, हल्दूचौड़ जंगली (सदस्य)
- 5- श्री प्रकाश चन्द्र मंड की.डी.सी.क्षेत्र, दौलिमा हल्दूचौड़ (सदस्य)
- 6- श्रीमती कमला पणाला, की.डी.सी.क्षेत्र, किसनपुर सकुलिमा (सदस्य)
- 7- श्री लालिच चन्द्र मिश्रा की.डी.सी.क्षेत्र, डाँधीखाल (सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 12.330 है० वन भूमि, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, हल्द्वानी, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड लालकुआँ परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Bluesky
(आयकरानन्द)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत हल्दूचौड़ (नैनीताल)
वि० ३० हल्द्वानी (नैनीताल)

क० अ० दम्भा
सहायक सभाज कल्याण अधिकारी
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रकाश चन्द्र
(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत हल्दूचौड़
वि० ३० हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय प्रशासिकारी
(गोला)
हराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

Kamala
कमला

क्षेत्र पंचायत सदस्य

क्षेत्र पंचायत-किशनपुर सकुलिया

विकास खण्ड- हल्द्वानी (नैनीताल)

ललित चन्द्र मिश्रा

ललित चन्द्र मिश्रा

सदस्य क्षेत्र पंचायत

हाथीखाल

वि० ६० हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—

जनपद—

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील—

जनपद—

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण कार्य।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र।
जिला स्तरीय समिति, नैनीताल।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण हेतु 12.330 है0, वन भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 3.01.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद नैनीताल की बैठक 3.01.2018 जिलाधिकारी, नैनीताल स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1. श्री विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी, नैनीताल/अध्यक्ष।
2. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी/सचिव।
3. श्री रविन्द्र सिंह सामन्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल/सदस्य।
4. श्रीमती किरन जोशी, जिला पंचायत सदस्य/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त के निर्माण हेतु 12.330 है0 वन भूमि, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग निर्माण हेतु 12.330 है0 वनभूमि, लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


30.06.18

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
नैनीताल।

जिलाधिकारी
वैबीराज

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० वन भूमि उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी (नैनीताल) तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

क. व. न. ए. प्र. वि. कार्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

लालकुआँ (नैनीताल)

जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग का निर्माण कार्य ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 12.330 है० वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

तहसीलदार
लालकुआँ (नैनीताल)

फि० कार्यालय
हायड्रॉलॉजी विभाग
लालकुआँ (नैनीताल)

जिलाधिकारी
लालकुआँ (नैनीताल)

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1**(for linear projects)****Government of Uttarakhand****Office of the District Collector - Nainital**

No---

Dated----

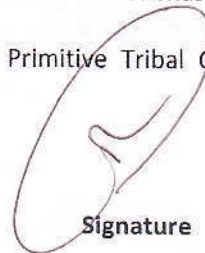
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **12.330** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Haldwani (Nainital) (name of user agency) for Respected Chief Minister, Announcement No. 310/2013, District Nainital, Thasil Lalkuan, Haldwani by pass area Lalkuan Haldwani by pass area from Halduchaur, Indian Oil Dipot. Road Construction Work. (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of Dumka Bangar, Bachi Dharm, Dolia No-1, Devrampur, Hadagram, Halduchaur Jaggi, Halduchaur Dolia, Himmatpur, Deriparao, Khadakpur, Bakulia, Kishanpur Sakulia, Gojajali, Hathikhal, Durgapalpur Parma, D-Class, Dungarpur villages in **Lalkuan** tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **12.330** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure .
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.



Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 06.12.2014 at time 11.00 a.m at Lalkuan in which application claiming rights in 123300 Sq. Meter area measuring **12.330** hect for the Construction of Respected Chief Minister, Announcement No. 310/2013, District Nainital, Thasil Lalkuan, Haldwani by pass area Lalkuan Haldwani by pass area from Halduchaur, Indian Oil Dipot. Road Construction Work. (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Haldwani** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: *Nainital*Dated: *7.1.2014*

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी
नैनीताल.